Reliance
Industries Limited

दिनांक– 21.10.2019.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

विषय - रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, **जनपद मेरठ में गढ़–मेरठ–बागपत –सोनी पत रोड (एस0 एच0–14)** किमी0 53 चैनेज 52.540 पर **खसरा नं0 103 व 104 ग्राम मलियाना जिला मेरठ** प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079198 है० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। **(Proposal No.- FP/UP/Others/31597/2018).**

सन्दर्भः– **1**– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग– 2, लखनऊ का पत्रांक– पी–37/14–2–2019–800(53)/2019, दिनांक– 04.06.2019.
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ का पत्रांक– 15977/14–1, मेरठ दिनांक– 04.10.2019.

महोदय,

विषयक प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2, लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–04.06.2019 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है–

सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त का क्रमांक	**सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त**	**अनुपालन आख्या**
1	2	3
शर्त संख्या– 1	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.1 हे0 से अधिक नहीं होगा।	**शर्त संख्या– 1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित की जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल 0.079198 हे0 अधिक नहीं होगा।
शर्त संख्या– 2	इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ट) आधारित है।	**शर्त संख्या– 2** परियोजना के अंतर्गत प्रयुक्त संपर्क मार्ग निर्माण हेतु निर्गत स्वीकृति नीड वेस्ड आधारित होगी।
शर्त संख्या– 3	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा	**शर्त संख्या– 3** के अनुपालन में वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
शर्त संख्या– 4	उपयोगकर्ता एजेंसी समय-समय पर संशोधित वन (संरक्षण) नियमए 2003 के तहत मंत्रालय के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप में राज्य / केंद्रशासित प्रदेश को परियोजना का	**शर्त संख्या– 4 का अनुपालन** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

Suraj Vikas
State Head
U P (W) Uttarakhand
Reliance Industries Ltd.

	प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।	
शर्त संख्या– 5	प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है।	**शर्त संख्या– 5**– प्रस्तावित वन भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है।
शर्त संख्या– 6	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।	**शर्त संख्या– 6** के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
शर्त संख्या– 7	उपयोगकर्ता एजेंसी प्रधान मुख्य संरक्षक द्वारा वन और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार से अनुशंसित वन भूमि के डायवर्सन की अनुमति लेगी	**शर्त संख्या– 7** का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
शर्त संख्या– 8	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	**शर्त संख्या– 8** सम्बन्धित नहीं है।
शर्त संख्या– 9	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा पर वन विभाग द्वारा 50 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।	**शर्त संख्या 9** के अनुपालन में 50 पौधों का वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु धनराशि रू0 1,39,700/– मात्र COMPENSATORY AFFORESTATION FUND (CAF) UTTAR PRADESH में प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान के द्वारा दिनांक 17.10.2018 को कारपोरेशन बैंक, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली को हस्तान्तरित कर दी गई है, जिसकी जमा (Paid) चालान की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या– 10	उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0 25230 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।	**शर्त संख्या– 10** के अनुपालन में उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 49,578/– एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1,39,700/– कुल धनराशि रू0 1,89,278/– मात्र COMPENSATORY AFFORESTATION FUND (CAF) UTTAR PRADESH में प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान के द्वारा दिनांक– 17.10.2019 को कारपोरेशन बैंक, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली को हस्तान्तरित कर दी गई है, जिसकी जमा (Paid) चालान की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या– 11	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आसपास के फलोरा (वनस्पति)/फोना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फलोरा/फोना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	**शर्त संख्या– 11** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना स्थल के आसपास फलोरा (वनस्पति)/फोना (वन्य जीव) को हानि नहीं पहुँचायेंगे।
शर्त संख्या– 12	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होगी।	**शर्त संख्या– 12** के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त मान्य होगी।
शर्त संख्या– 13	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।	**शर्त संख्या– 13** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं कराया जायेगा।
शर्त संख्या– 14	प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।	**शर्त संख्या– 14**– के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाली वन भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं करते है। अतः वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई दावा लम्बित नहीं है।
शर्त संख्या– 15	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो जो वनों के संरक्षण सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो का	**शर्त संख्या– 15**– भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक होंगे, का अनुपालन किया जायेगा।

Suraj Vikas
State Head
U P (W) Uttarakhand
Reliance Industries Ltd.

	कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	
शर्त संख्या– 23	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	**शर्त संख्या– 23** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
शर्त संख्या– 24	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	**शर्त संख्या 24**– उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
शर्त संख्या– 25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया।	**शर्त संख्या– 25** के अनुपालन में पूर्व में ही भू–सन्दर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र ऑनलाईन एप्लाई करते समय प्रस्तुत किये जा चुके हैं।
शर्त संख्या– 26	प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 50 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।	**शर्त संख्या 26** के अनुपालन में 50 पौधों का वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु धनराशि रू0 1,39,700/– मात्र COMPENSATORY AFFORESTATION FUND (CAF) UTTAR PRADESH में प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान के द्वारा दिनांक 17.10.2018 को कारपोरेशन बैंक, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स लोधी रोड़, नई दिल्ली को हस्तान्तरित कर दी गई है, जिसकी जमा (Paid) चालान की प्रति संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

सूरज विकाश
स्टेट हेड
(यू.पी. वेस्ट & उत्तराखंड)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

- मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत स्थित गढ़–मेरठ–बागपत –सोनी पत रोड (एस0 एच0–14) किमी0 53 चैनेज 52.540 पर खसरा नं0 103 व 104 ग्राम मलियाना जिला मेरठ पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.079198 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्य के लिये प्रयोग की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

सूरज विकाश
स्टेट हेड
(यू.पी. वेस्ट & उत्तराखंड)
Suraj Vikas
State Head
U P (W) Uttarakhand
Reliance Industries Ltd.

Reliance
Industries Limited

<u>शर्त संख्या-18 के संबंध में वचनवद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, जनपद मेरठ में गढ़–मेरठ--बागपत –सोनीपत रोड (एस0 एच0–14) किमी0 53 चैनेज 52.540 पर खसरा नं0 103 व 104 ग्राम मलियाना जिला मेरठ प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079198 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग कि परियोजना के अंतर्गत फ्यूल स्टेशन के पुरे परिसर में काम दूरी (1x1.5 मीटर) पर कम छत्र के वृक्षों का रोपण किया जायेगा जो भरी दिवार से 1.5 मीटर के ऑफसेट पर शुरू होगा, जोकि हरियाली बनाये रखेगा तथा वह फ्यूल स्टेशन की भूमि की आवश्यकता की अतिरिक्त होगा।

सूरज विकाश
स्टेट हेड
(यू.पी. वेस्ट & उत्तराखंड)

Suraj Vikas
State Head
U P (W) Uttarakhand
Reliance Industries Ltd.

Reliance House, RK Four Square, Building No.4, DLF Cyber City, Phase-2, Gurgaon – 122002, Haryana Tel.:91-124-6625238
Registered Office : Maker Chambers IV, 3rd Floor, 222, Nariman Point, Post Box : 11717, Mumbai-400021, India
CIN NO. L17110MH1973PLC019786

Reliance
Industries Limited

श्र्त संख्या-21 के संबंध में वचनवद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा गढ़–मेरठ–बागपत –सोनीपत रोड (एस0 एच0–14) किमी0 53 चैनेज 52.540 पर खसरा नं0 103 व 104 ग्राम मलियाना जिला मेरठ प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079198 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग कि परियोजना में यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

सूरज विकाश
स्टेट हेड
(यू.पी. वेस्ट & उत्तराखंड)

Suraj Vikas
State Head
U P (W) Uttarakhand
Reliance Industries Ltd.

Reliance House, RK Four Square, Building No.4, DLF Cyber City, Phase-2, Gurgaon – 122002, Haryana Tel.:91-124-6625238
Registered Office : Maker Chambers IV, 3rd Floor, 222, Nariman Point, Post Box : 11717, Mumbai-400021, India
CIN NO. L17110MH1973PLC019786